न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, ग्वालियर

निगरानी प्रकरण क्रमांक......................

मंसूर मोहम्मद, आयु वयस्क

आत्मज श्री मुकर्रम

निवासी- ग्राम मुबारकपुर,

तहसील हुजूर जिला भोपाल ------- आवेदक

विरूद्ध

(1) राजेन्द्र कुमार सिंगल, आयु वयस्क आत्मज श्री जगदीश प्रसाद, निवासी- कृषक- ग्राम मुबारकपुर, तहसील हुजूर जिला भोपाल।

(2) हरिओम प्रायवेट द्वारा संजय मूलचंदानी आत्मज डी.डी. मूलचंदानी, निवासी-मानसरोवर काम्पलेक्स, भोपाल ------- अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता

अनावेदक क्रमांक 01 द्वारा माननीय अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय, तहसील हुजूर जिला भोपाल के प्रकरण क्रमांक 65/अ-12/2012-13 (राजेन्द्र कुमार सिंगल विरूद्ध हरिओम प्रायवेट) मे पारित आदेश दिनांक 04/03/2013 से व्यथित होकर वर्तमान निगरानी ठोस एवं वैधानिक आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक क्रमांक 01 के द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि खसरा क्रमांक 173/3छ रकबा 0.485 हेक्टेयर व खसरा क्रमांक 175/1/1 रकबा 0.105 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 175/1/2/1 रकबा 0.073 हेक्टेयर इस प्रकार कुल तीन किता भूमि कुल रकबा 0.663 हेक्टेयर जो कि ग्राम मुबारकपुर, तहसील हुजूर जिला भोपाल मे स्थित है, के संबंध में एक आवेदन पत्र सीमाकंन किये जाने बावत् अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय भोपाल के समक्ष

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3020-PBR/13 जिला - भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-8-2019	प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी नायब तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 04-03-2013 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25-09-2018 से लागू हुआ है । संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार, तहसील हुजूर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अत: संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, भोपाल को भेजा जाता है । कलेक्टर, भोपाल प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 14-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अध्यक्ष	